दिनांक: 01.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 31.05.2024 को वादी बिट्टू पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम अलीपुर नौगावा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर ने एक लिखित प्रार्थना पत्र बाबत 1.रहमान पुत्र रिजवान 2.जीशान उर्फ बादी पुत्र इस्लाम 3.अलीशान उर्फ काला पुत्र इस्लाम 4.शाहबान पुत्र इस्लाम 5.फरमान उर्फ लोधा पुत्र यासीन निवासी गण ग्राम समसपुर नौगावा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर द्वारा वादी व वादी के भाई मोनू तथा माता शिवकुमारी के साथ एक राय होकर लाठी डण्डो से घर में घुसकर मारपीट व गाली गलौच करने तथा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0 89/24 धारा 147/148/452/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर ने उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी थाना मिर्जापुर के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 01.06.2024 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **रहमान पुत्र रिजवान निवासी ग्राम समसपुर नौगावा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को उसके मसकन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

रहमान पुत्र रिजवान निवासी ग्राम समसपुर नौगावा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 गजेन्द्र सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. हेका0 32 गौरव भाटी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

दिनांक: 01.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 01.06.2024 को एक वारण्टी **सोनू पुत्र भूषण निवासी ग्राम पाण्डोखेडी थाना नानौता जिला सहारनपुर** संबंधित वाद सं0 57/22 मु0अ0सं0 09/19 धारा 392/411 भादवि0 चालानी थाना नानौता माननीय न्यायिक अपर सिविल जज (जू0डी0)जे0एम0 देवबंद सहारनपुर को ग्राम पाण्डोखेडी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पताः-

सोनू पुत्र भूषण निवासी ग्राम पाण्डोखेडी थाना नानौता जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 सुन्दर सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 729 उपेन्द्र थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 01.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के 02 वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 01 लोहे का सरिया बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 11.05.2024 को वादी श्री आस मौहम्मद पुत्र इकरार निवासी ग्राम मन्ना माजरा थाना कैराना जिला शामली द्वारा थाना नकुड़ उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बावत अभियुक्तगण **1-वैशर पुत्र इलियास 2-कामिल पुत्र जंगा 3-मनव्वर पुत्र इलियास 4-अनवर पुत्र इलियास 5-तसव्वर पुत्र इलियास निवासीगण ग्राम टिडौली थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** द्वारा एकराय होकर जान से मारने की नीयत से हाथ मे लाठी डण्डे व सरिये लेकर वादी की बहन के घर में घुसकर वादी की बहन व जीजा को गाली गलौच कर मारपीट करते हुए वादी की बहन के साथ अश्लीलता करने, मारपीट मे वादी की बहन की टांग तोड देने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 135/24 धारा 147/452/307/504/323/325/506/354 भादवि बनाम पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 01.06.2024 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित 02 अभियुक्तगण **मनव्वर पुत्र इलयास एवं अनवर पुत्र इलयास निवासीगण ग्राम टिडौली थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को उनके मसकन से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. मनव्वर पुत्र इलयास निवासी ग्राम टिडौली थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
2. अनवर पुत्र इलयास निवासी ग्राम टिडौली थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण

- 01 लोहे का सरिया

अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री नरेन्द्र भडाना थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार शर्मा थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
4. है0 का0 1021 मतीन अहमद थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 01.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 10 ग्राम अवैध स्मैक बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध मादक पदार्थों एवं इनके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बेहट श्री योगेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 01.6.2024 को चैकिंग के दौरान अभियुक्ता **शबाना पत्नी असलम निवासी ग्राम पथरवा थाना बेहट जनपद सहारनपुर** उम्र करीब 35 वर्ष को पथरवा से पाजराना रोड पर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के कब्जे से 10 ग्राम नाजायज स्मैक व स्मैक बेचकर प्राप्त हुए कुल 4220 रू0 बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर थाना बेहट पर मु0अ0स0-165/2024 धारा-8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ता द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि मेरे पति नशा करते है तथा कोई काम भी नही करते है। यह स्मैक मै सस्ते दामों में बाहर से खरीद कर आसपास के गाँव मे जाकर बेचकर अच्छा मुनाफा कमाती हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शबाना पत्नी असलम नि0 ग्राम पथरवा थाना बेहट जनपद सहारनपुर उम्र करीब 35 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

- 10 ग्राम अवैध स्मैक नाजायज
- 4220/- रू0 नकद

अभियुक्ता शबाना का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 455/22 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद साहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 440/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद साहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री रोविल्स कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।
3. म0उ0नि0 भावना थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।
4. का0 1323 कुलदीप सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 01.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 देशी पिस्टल व 01 जिन्दा कारतूस 7.65 एमएम बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण एवं अवैध शस्त्र रखने/तस्करी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 01.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **मौसिम उर्फ मोहसीन पुत्र मकसूद निवासी ग्राम तिसंग थाना झिंझाना जनपद शामली** को कुम्हारहेडा भट्टे के पास से गिरफ्तार किया गया तथा कब्जे से 01 देशी पिस्टल व 01 जिन्दा कारतूस 7.65 एमएम बरामद हुए एवं गाडी आल्टो को धारा 207 एमवी एक्ट मे सीज किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त मौसिम उर्फ मोहसीन के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 171/2024 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त मौसिम उर्फ मोहसीन उपरोक्त ने बताया कि यह पिस्टल मैं आस पास के लोगो को डराने धमकाने के लिए रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मौसिम उर्फ मोहसीन पुत्र मकसूद निवासी ग्राम तिसंग थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 पिस्टल देशी
- 01 जिन्दा कारतूस
- 01 गाडी आल्टो सीज अन्तर्गत धारा 207 एम वी एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अवशेष भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 960 सचिन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 1913 राजन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 01.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता सकुशल बरामद।

अवगत कराना है कि दिनाँक 08.05.2024 को वादी द्वारा लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त रिंकू पुत्र शौभाराम निवासी चुहडपुर थाना बेहट सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भाग ले जाने के सम्बन्ध मे थाना बेहट पर मु0अ0सं0 147/24 धारा 363 भादवि पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी व अपहृता की सकुशल बरादमगी हेतू दिशा-निर्देश दिए जिसके अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना बेहट के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वान्छित अभियुक्त **रिंकू पुत्र शौभाराम निवासी ग्राम चुहडपुर कला थाना बेहट सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर सरसावा थाना क्षेत्र के जंगल से गिरफ्तार कर अपहृता को सकुशल बरामद किया गया। तथा विवेचना में मुकदमा उपरोक्त में धारा-366 की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पता-

रिंकू पुत्र शौभाराम निवासी ग्राम चुहडपुर कला थाना बेहट सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री तोताराम सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।
3. म0उ0नि0 अवनी उपाध्याय थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर।
4. का0 1594 मोहित धामा थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 01-06-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास का 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 25.05.2024 को वादी श्री रमजान पुत्र शकूर निवासी ग्राम फिरोजाबाद चिलकाना जनपद सहारनपुर ने एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.मजूर पुत्र स्व लतीफ व 06 अन्य द्वारा वादी व उसके साथी राकिब के साथ गाली गलौच करते हुए लाठी डडो व धारधार हथियार से जान से मारने की नीयत से हमला कर घायल करने के संबंध में थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 – 120/2024 धारा - 147/149/307/336/323/504/506/324 भादवि पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के नामजद अभियुक्त **1.जहूर पुत्र स्व0 लतीफ निवासी ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना सहारनपुर** ग्राम फिरोजाबाद के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

जहूर पुत्र स्व0 लतीफ निवासी ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

उ0 नि0 करन नागर थाना चिलकाना सहारनपुर ।

हे0का0 190 मदनजीत सिह थाना चिलकाना सहारनपुर ।

का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 01-06-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के प्रयास का 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 25.05.2024 को वादिया श्रीमति महताब बेगम पत्नी मंजूर निवासी ग्राम फिरोजाबाद चिलकाना ने एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण रमजान व 07 अन्य द्वारा वादिया व उसके पति के साथ गाली गलौच कर लाठी, ड़ंडो व धारधार हथियार से घायल करने के संबंध में थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 – 121/2024 धारा -147/149/308/336/323/504/324/325 भादवि पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के नामजद **अभियुक्त साजिद पुत्र गफूर निवासी ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलाकना सहारनपुर को** ग्राम फिरोजाबाद के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

साजिद पुत्र गफूर निवासी ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0 नि0 करन नागर थाना चिलकाना सहारनपुर ।
2. हे0का0 190 मदनजीत सिह थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 01.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, निशादेही से घटना में प्रयुक्त 01 चाकू बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 31.05.2024 को वादी शौकत पुत्र चन्दवा निवासी ग्राम शकरपुर शाकरौर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर द्वारा थाना गंगोह उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण मुर्सलीन व शोयब पुत्र सलीम निवासी ग्राम शकरपुर शाकरौर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के भतीजे मुरसलीन पुत्र जाहिद पर जान से मारने की नियत से चाकू से वार कर घायल कर देने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-206/24 धारा 323/307/504/506 भादवि पंजीकृत कराया गया। इलाज के दौरान घायल मुरसलीन पुत्र जाहिद निवासी ग्राम लखनौती थाना गंगोह जनपद सहारनपुर की मृत्यु हो जाने के कारण उपरोक्त अभियोग में धारा 302 भादवि की वृद्धि की गयी तथा अभियोग की विवेचना प्रारम्भ की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 01/06/2024 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम लखनौत रोड़ बिजली घर के पास से वांछित अभियुक्त **मुर्सलीन पुत्र सलीम निवासी ग्राम शकरपुर शाकरौर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशानदेही पर घटना मे प्रयुक्त आलाक्तल चाकू को बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त मे धारा 4/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने बताया कि मेरे साथ मुरसलीन पुत्र जाहिद व उसके परिवाजनों द्वारा ईद से पहले मारपीट कर दी गयी थी तथा अब भी वह हम लोगो से रंजिश रखता था। कोई भी घटना करने की फिराक में रहता था जिस कारण कल दिनांक 31.05.24 को समय 9-10 बजे के करीब लखनौती बाजार में मुर्सलीन पुत्र जाहिद द्वारा मुझे गली दी गयी। जिस बात पर मैने मुरसलीन पर जान से मारने की नियत से ताबडतोड चाकू से वार कर घायल कर मौके से भाग गया था तथा लखनौती तिराहे पर आकर मैने वही चाकू बिजली घर की बाऊड्री वाल के पास बिजली के खम्बे के सामने पडे कूडे में चाकू रखकर छिपा दिया था जिसे मैने आपको बरामद करा दिया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मुर्सलीन पुत्र सलीम निवासी ग्राम शकरपुर शाकरौर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी विवरणः-

01 चाकू (आलाकत्ल)

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक एच.एन. सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. व0उ0नि0 संजय कुमार शर्मा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

3. है0कां0 579 शेखऱ थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. का0 688 प्रवीण कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर